<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:— 09ए / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक:—02.08.2014</u> फाईलिंग नं. 233504000312014

- 1. भूता पिता शिवलाल (**मृत**) **द्वारा विधिक वारसान**
 - भज्जो पिता भूता, पित अमरचंद, उम्र 42 वर्ष, निवासी डूडिरया तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
 - 2. रिजवन्ती पिता भूता, पित गोवर्धन, उम्र 36 वर्ष, निवासी गुबरेल, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. आनंदराव पिता शिवलाल, उम्र 50 वर्ष
- एनशीला पित लोभीराम, उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी गुबरेल, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादीगण

वि रू द्व

- 1. भंगीलाल पिता भागराम, उम्र 50 वर्ष
- 2. दरसू पिता भागराम, उम्र 48 वर्ष
- 3. शेषराव पिता भागराम, उम्र 46 वर्ष तीनों निवासी गुबरेल, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. नारायण पिता भागराम, उम्र 40 वर्ष निवासी डाडीवाड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डाडीवाड़ा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- 5. सुशीला पति माधोराव, उम्र 35 वर्ष
- 6. सम्पती पति भिजीलाल, उम्र 33 वर्ष क. 5 व 6 निवासी गुबरेल, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 7. उछन पति गणपत, उम्र 38 वर्ष निवासी मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- 8. संतरी पति रमेश, उम्र 45 वर्ष
- 9. मेसी पति दुशासन, उम्र 49 वर्ष क. 8 व 9 निवासी संत रविदास कॉलोनी 3 नं., हापड़ पाथाखेड़ा, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)

10.	मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर	,	
	जिला बैतूल (म.प्र.)		प्रतिवादीगण

<u>-: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 30.01.2017 को घोषित)

- 1 वादीगण द्वारा यह दावा ग्राम गुबरेल तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित ख.नं. 47 रकबा 2.732 हे., ख.नं. 50 रकबा 2.772 हे., ख.नं. 453/1 रकबा 1.035 हे. (अत्रपश्चात् विवादित भूमि से संबोधित) के विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2 प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि वर्तमान में विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा उभयपक्ष का एक ही परिवार का होना भी स्वीकृत तथ्य है।
- वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पिता शिवलाल एवं प्रतिवादीगण के पिता भागराम आपस में सगे भाई थे जिनके पिता खुड्डू थे। शिवलाल एवं भागराम ने अपनी संयुक्त कमाई से दिनांक 22. 01.1951 को अभिराम, मेसराम वल्द धनराम पटेल तथा वासुराम अमरू नाबालिग वल्द धनाराम से खरीदी थी। वादीगण के पिता शिवलाल के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कराये जाने हेतु प्रतिवादीगण के पिता भागराम को मुलताई भेजा गया था परंतु भागराम ने संपूर्ण विवादित भूमि का विक्रय पत्र केवल अपने नाम पर निष्पादित करवा लिया था जबिक क्रय की गयी विवादित भूमि पर दोनों भाईयों का पैसा लगा था। शिवलाल एवं भागराम ने अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमि का आपस में बंटवारा आधा—आधा करके मेड़ कायम कर ली थी जिसमें से साढ़े आठ एकड़ शिवलाल के हिस्से में और साढ़े आठ एकड़ भागराम के हिस्से में आयी थी और तभी से बंटवारे अनुसार अपने—अपने भाग पर कृषि कार्य किया जाता रहा।
- 4 दिनांक 22.05.1985 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे एवं हिस्से वाली भूमि पर अपना हक राजस्व दस्तावेजों में नाम दर्ज होने के आधार पर जताया गया परंतु उक्त दिनांक को भी वादीगण ने प्रतिवादीगण को यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि उनके कब्जे वाली भूमि उनके हिस्से एवं स्वत्व की है भले ही नाम आपका दर्ज हो। उक्त दिनांक को वादीगण और प्रतिवादीगण के अलावा गांव के लगभग 40–50 व्यक्ति भी उपस्थित थे। उक्त दिनांक के पश्चात कभी भी प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं किया। अतः उक्त दिनांक से निरंतर निर्बाध एवं खुले रूप से सर्व साधारण की जानकारी में वादीगण का कब्जा चला आ रहा है जिसकी अवधि लगभग 12 वर्ष से अधिक हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादीगण का विवादित भूमि पर विरोधी

आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है। दिनांक 25.06.2014 को प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर सीमांकन की कार्यवाही करवाने का प्रयास किया गया। उक्त दिनांक के पूर्व कभी भी प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का विवादित भूमि के आधे—आधे भाग पर कब्जा है जिसके बीच में मेड़ बनी हुई है। वादीगण का विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है। अतः वादीगण द्वारा यह दावा स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है।

- 5 प्रतिवादीगण क 01 से 09 के द्वारा संयुक्त रूप से वाद पत्र का जवाबदावा पेश कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि पैतृक न होकर मात्र प्रतिवादीगण के पिता भागराम द्वारा क्य की गयी है जो कि उनकी स्वअर्जित संपत्ति है। वादीगण के द्वारा वंश वृक्ष भी अधूरा बताया गया है। शिवलाल एवं भागराम दो भाई न होकर चार भाई थे जिनकी एक बहन भी थी। विवादित भूमि भागराम की स्वअर्जित भूमि थी और उनकी मृत्यु उपरांत वारसाना नामांतरण में प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हुई। वादीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा वादीगण द्वारा सीमांकन कराये जाने पर वादीगण ने सीमांकन नहीं कराने दिया और अपना झूठा कब्जा होने का कथन किया है। जबिक प्रारंभ से ही प्रतिवादीगण का कब्जा है वर्तमान में भी है और राजस्व दस्तावेजों में भी प्रतिवादीगण का ही नाम है। अतः दावा सव्यय निरस्त किया जावे।
- 6 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान वादी क. 01 भूता पिता शिवलाल की मृत्यु हो जाने से उनके वारसानों को अभिलेख पर लिया गया है।
- 7 वाद के उचित एवं प्रभावपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:—

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता शिवलाल एवं भागराम के द्वारा विवादित भूमि मौजा गुबरेल तहसील आमला जिला बैतूल ख.नं. 47 रकबा 2.732 हे., ख.नं. 50 रकबा 2.772 हे., ख.नं. 453/1 रकबा 1.035 भूमि को संयुक्त आय से क्रय की गयी थी और उक्त क्रय अनुसार विवादित भूमि में वादीगण का स्वत्व है ?	

2.	क्या वादीगण का विवादित भूमि में से 8½(आठ सही एक बटा दो) भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है ?	
3.	क्या वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?	
4.	क्या वादीगण के वादपत्र में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	
5.	क्या वादी द्वारा दावा समयाविध में पेश किया गया है ?	
6.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

- 8 वादीगण का यह अभिवचन है कि वादीगण के पिता शिवलाल व प्रतिवादीगण के पिता भागराम ने मिलकर विवादित भूमि का संयुक्त कमाई से दिनांक 22.01.1951 को क्य किया गया था। आनंदराव (वा.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसे विवादित जमीन की खरीदी की जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दोनों भाईयों ने कितना—कितना पैसा दिया इसकी जानकारी उसे नहीं है। अन्य किसी वादी साक्षी के द्वारा विवादित जमीन क्य किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये है।
- 9 प्रतिवादी साक्षी नारायण (प्र.सा.—3) ने यह गलत होना बताया है कि शिवलाल व भागराम दोनों ने मिलकर जमीन क्रय की थी। दस्सू (प्र.सा.—2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवादित जमीन कब क्रय की गयी थी। स्वतः में साक्षी ने कथन किया है कि उसके पापा ने जो कि बकरा बकरी का धंधा करते थे, उसमें से खरीदी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि विवादित भूमि को शिवलाल व भागराम दोनों ने क्रय किया था।

10 उपर्युक्त तथ्य साबित करने का भार वादी पर था। धारा 103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस संबंध में यह उपबंधित करती है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो न्यायालय से यह चाहता है, कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि वह किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। वादीगण द्वारा कथित विक्रय पत्र दिनांक 22.01.1951 प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अपने अभिवचन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिससे यह माना जाये कि विवादित भूमि वादीगण के पिता शिवलाल एवं प्रतिवादीगण के पिता भागराम के द्वारा अपनी संयुक्त कमाई से क्रय की गयी थी। वादी कथित विक्रय पत्र के आधार पर अपने स्वत्व को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि विवादित भूमि पर वादीगण का संयुक्त आय से क्रय किये जाने के आधार पर स्वत्व है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 01 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण

11 वादीगण का यह अभिवचन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के जीवनकाल में ही लगभग 50 वर्ष पूर्व क्रयशुदा विवादित भूमि का बंटवारा हो गया था जिसमें से 8½ एकड़ पर वादीगण का 8½ एकड़ पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य बंटवारा अनुसार चला आ रहा है। वादीगण का यह भी अभिवचन रहा है कि दिनांक 22.05.1985 को जब प्रतिवादीगण ने वादीगण के उक्त आधिपत्य में हस्तक्षेप किया तब वादीगण ने प्रतिवादीगण से यह कहा दिया कि अब यह भूमि हमारी है, भले ही प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो। अतः उक्त दिनांक से वादीगण का विरोधी आधिपत्य प्रारंभ हो गया।

गहां तक वादी ने विरोधी आधिपत्य के आधार पर अनुतोष चाहा है वहां विरोधी आधिपत्य के संबंध में धारा 27 सहपठित अनुच्छेद 65 पिरसीमा अधिनियम, 1963, सुसंगत है, उक्त विधि के आलोक में न्यायदृष्टांत कृष्णा मूर्ति एस. सेंटलूर वि0 ओ. व्हीनरिसम्माह सेट्टी, 2007 (3), एम. पी.एल.जे. 15 एस.सी अवलोकनय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रादित किया गया है, कि विरोधी आधिपत्य का प्रश्न तथ्य का साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसमें वादी को विरोधी आधिपत्य के सभी तत्वों का अभिवचन करना चाहिए और प्रमाणित भी करना चाहिए। इस हेतु वादी को यह स्पष्ट अभिवचन करके प्रमाणित करना चाहिए कि— वह किस तारीख को आधिपत्य में आया, आधिपत्य की प्रकृति क्या थी, क्या, उसके आधिपत्य में आने का तथ्य दूसरे पक्षकार की जानकारी में था, उसका आधिपत्य कब से सतत् है, उसका आधिपत्य खुले रूप से लगातार 30

वर्ष से है, जो व्यक्ति विरोधी अधिपत्य का दावा करता है, उसके पक्ष में साम्य या इक्विटी नहीं होती, क्योंिक वह वास्तविक स्वामी के अधिकारों का हनन करता है। इसलिये उसके द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों का अभिवचन कर उन्हें स्थापित करना चाहिए। उक्त संबंध में हेमाजी वाधजी जाट विरुद्ध भीखा भाई के. हरिजन एआईआर 2009 एस.सी. 103 तथा डॉक्टर महेशचन्द्र शर्मा विरुद्ध श्रीमित राजकुमारी शर्मा एआईआर 1996, एस.सी. 869 अवलोकनीय है, जिसमें सारतः उपर्युक्त विधि प्रतिपादित की गई है।

उपर्युक्त विधि के प्रकाश में यदि वादी के अभिवचन एवं साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये तो वादी साक्षी आनंदराव (वा.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि विवादित भूमि शुरू से ही आधी—आधी जोत रहे हैं और यह भी बताया है कि वर्ष 1985 में प्रतिवादीगण उनसे कब्जा लेने आये थे। एनशीला (वा.सा.—2) ने यह बताया है कि लगभग 30 वर्षों से विवादित भूमि पर उनका आधिपत्य है। उक्त साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उपर्युक्त बात उसे उसके पित ने बतायी थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण ने विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया है परंतु साक्षीगण के कथनों से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विवादित भूमि पर उनके आधिपत्य की प्रकृति क्या थी। वादी साक्षीगण ने दिनांक 22.05.1985 से विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य विरोधी होना बताया है जिसे प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथनों में इनकार किया गया है। वादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर आधिपत्य विरोधी हो जाने के संबंध में कोई भी युक्तियुक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए, कि वादी का आधिपत्य विरोधी आधिपत्य की श्रेणी में आता है, तो भी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत गुरुद्वारा साहिब विरुद्ध ग्राम पंचायत श्रीथला, 2014, 3 एम.पी.एल.जे. 36 में निर्णीत किया गया है, कि In the second Appeal, the relief of ownership by adverse possession is again denied holding that such a suit is not maintainable, therefore cannot be any quarrel to the extent the judgement of the courts below are correct and without any blemish even if the plaintiff is found to be in adverse possession, it cannot seek a declaration to the effect that such adverse possession has matured into ownership only if proceeding filed against the appellant and appellant is arrayed as defendant that if it can use this adverse possession as a shield/defence. अर्थात् विरोधी आधिपत्य के आधार पर कोई भी व्यक्ति वाद हेतूक बताते हुए स्वत्व घोषणा का दावा नहीं ला सकता और यह सिद्धांत मात्र बचाव में उठाया जा सकता है। इस प्रकार विरोधी अधिपत्य के आधार पर वादी स्वत्व घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं है। तदनुसार विवादित

भूमि पर वादी का उक्त आधार पर स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है, तद्नुसार विचारणीय प्रश्न कमांक 02 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

15 वादीगण ने विवादित भूमि पर लगभग 50 वर्षों से अपना आधिपत्य होने का अभिवचन किया है। वादी साक्षी आनंदराव (वा.सा.—1) एवं एनशीला (वा. सा.—3) ने अपने कथनों में यह बताया है कि शिवलाल व भागराम के जीवनकाल में बंटवारा हो गया था तभी से वे विवादित जमीन के आधिपत्य में हैं।

राजू उइके (वा.सा.-4) एवं संतोष (वा.सा.-5) ने यह बताया है कि मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण आधी-आधी जमीन जोतते है। उपर्युक्त दोनों साक्षियों ने प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-7 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। संतोष (वा.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे विवादित जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा 1/2-1/2 भाग जोतने की जानकारी पूर्व से थी लेकिन वर्ष 2014 में जब सीमांकन की कार्यवाही के लिए गया तब पुख्ता जानकारी हुई। जबकि साक्षी **राजू उइके (वा.सा.-4)** ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे पक्षकारों ने कब्जे के संबंध में जैसी जानकारी दी थी उसी अनुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी-7 का प्रमाण पत्र तैयार किया गया था। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण की उम्र लगभग 30-40 वर्ष है, तब ऐसी स्थिति में पिछले 50 वर्षों की जानकारी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। डोमा नरवरे (वा.सा.-7) ने अपने कथनों में यह बताया है कि दिनांक 25.06.2014 को जब वह विवादित भूमि पर सीमांकन की कार्यवाही के लिए गया था तब वादीगण ने यह आपत्ति दर्ज की थी कि विवादित भूमि के आधे भाग पर उनका कब्जा है। उपर्युक्त के संबंध में उसके द्वारा मौके पर पंचनामा (प्रदर्श प्री-8) तैयार किया गया था और तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-6) दिया था। उपर्युक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्ष 2014 के पहले विवादित भूमि किसके कब्जे में थी। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो कि विवादित भूमि के संबंध में खसरा, किश्तबंदी एवं नक्शा प्रिंटआउट प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-5 है जिनके अवलोकन से वर्तमान में विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर होना प्रकट होती है।

17 प्रतिवादी साक्षी शेषराव (प्र.सा.—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 12 में यह बताया है कि सीमांकन के समय वादीगण ने यह कहा था कि यदि हमारे कब्जे वाली जमीन पर जरी डाला तो मर्डर कर देंगे इसी कारण से मौके पर वादीगण के कब्जे वाली जमीन की नपाई नहीं की गयी थी। पैरा क. 13 में साक्षी ने यह बताया है कि वादीगण को इस बात की जानकारी है कि विवादित जमीन प्रतिवादीगण के नाम पर है फिर भी वादीगण ने कब्जा किया हुआ है। साक्षी ने वर्तमान में वादीगण और स्वयं के द्वारा अपने—अपने कब्जे वाली जमीन पर खेती करना बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि वादीगण के कब्जे वाली विवादित भूमि को छोड़कर शेष भूमि का उसका अपने भाईयों के साथ पिता के जीवनकाल में बंटवारा हो गया है। नारायण (प्र.सा.—3) ने यह बताया है कि वादीगण का विवादित भूमि के दो से ढाई एकड़ पर कब्जा है तथा सीमांकन यह देखने के लिए ही करवा रहे थे कि विवादित भूमि के कितने भाग पर वादीगण का कब्जा है। दस्सू (प्र.सा.—2) ने भी यह बताया है कि विवादित भूमि का दो—तीन एकड़ वादीगण जोत रहे हैं और वादीगण को यह पता है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर है।

18 प्रतिवादी साक्षी शेषराव (प्र.सा.—1), दस्सू (प्र.सा.—2) एवं नारायण (प्र.सा.—3) सभी ने अपने कथनों में विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य होना बताया है। यद्यपि उपर्युक्त साक्षीगण ने वादीगण का विवादित भूमि के ½ भाग पर आधिपत्य होने से इनकार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि कभी विवादित भूमि का सीमांकन नहीं हुआ इसलिए वे नहीं बता सकते है कि विवादित भूमि के कितने भाग पर वादीगण का आधिपत्य है।

वादीगण के द्वारा विवादित भूमि के वर्ष 2013—14 के खसरा, किश्तबंदी व नक्शे कमश प्रदर्श पी—1 से प्रदर्श पी—5 प्रस्तुत किये गये हैं जिनके अवलोकन से विवादित भूमियों में प्रतिवादीगण का स्वत्व व आधिपत्य प्रकट हो रहा है। साथ ही वर्ष 2014 में विवादित भूमि का मौके की सीमांकन रिपोर्ट एवं पंचनामा प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—8 प्रस्तुत किये गये हैं जिसके अवलोकन से वादीगण के द्वारा विवादित भूमि के ½ भाग 8½ एकड़ पर अपना आधिपत्य बताये जाने के कारण व विवाद होने से सीमांकन कार्यवाही न किया जाना प्रकट हो रहा है एवं ग्राम पंचायत सरपंच का प्रमाण पत्र (प्रदर्श प्री—7) जो कि विवादित भूमि के ½ भाग पर वादीगण के आधिपत्य के संबंध में है परंतु प्रतिवेदन पंचनामा व प्रमाण पत्र मौके पर पक्षकारों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर तैयार किये गये हैं जिससे पिछले 50 वर्षों से वादीगण के विवादित भूमि के आधे भाग पर आधिपत्य में होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

20 वादीगण के द्वारा विवादित भूमि के $\frac{1}{2}$ भाग पर आधिपत्य के संबंध में कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं परंतु विवादित भूमि पर वादीगण के आधिपत्य को स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार किया गया है। स्वीकृति एक सर्वोत्तम साक्ष्य है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत Ahmedsaheb vs. sayed Ismail 2012 (4) MPLJ 571 में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है :— It is needless to emphasize that admission of a party in the proceeding either in the pleading or oral is the best evidence and the same does not need

any further corroboration.

विवादित भूमि पर स्वयं प्रतिवादीगण ने वादीगण का आधिपत्य होना स्वीकार किया है। साथ ही प्रतिवादी साक्षीगण ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि वर्ष 2014 के पहले अर्थात सीमांकन की कार्यवाही के पूर्व उभयपक्ष के मध्य कोई भी विवाद नहीं था। साथ ही यह भी बताया है कि वे वादीगण को उनके कब्जे वाली जमीन पर निरंतर खेती करते देखते चले आ रहे हैं। स्पष्टतः प्रतिवादीगण विवादित भूमि के स्थापित आधिपत्य में हैं। स्थापित आधिपत्य के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति के स्थापित आधिपत्य में होता है उसको आधिपत्य संरक्षित किया जाना चाहिए तथा मूल स्वामी वैधानिक प्रक्रिया अपना कर ही उसे हटा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रामे गोड़ा विरूद्ध एम. वरदप्पा नायडू ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 4609 एवं प्रताप राई एन. कोठारी विरुद्ध चाद बेग्रेंजा ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 166 अवलोकनीय है। साथ ही न्याय दृष्टांत शवाराम विरूद्ध देवबाई ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1609 एवं गजेंद्रसिंह विरूद्ध मानसिंह 2000(2)म.प्र. लॉ जनरल 316 में यह विनिश्चित किया गया है कि स्थापित आधिपत्यधारी को एक सीमित सीमा तक वास्तविक स्वामी के विरूद्ध निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त हो सकेगी कि जब तक वास्तविक स्वामी विधि के सम्यक कम में आधिपत्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वास्तविक स्वामी आधिपत्यधारी को बलपूर्वक बेदखल नहीं करेगा। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 03 "हां" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

22 वादीगण के द्वारा वर्तमान में विवादित संपत्ति जितने भी लोगों के नाम पर दर्ज है उन सभी को पक्षकार बनाया गया है। तब ऐसी दशा में पक्षकारों का असंयोजन नहीं माना जा सकता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 04 "नहीं" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

23 वादीगण के द्वारा वाद कारण विवादित भूमि का वर्ष 2014 में प्रतिवादीगण द्वारा सीमांकन किये जाने से प्रारंभ होना बताया है। स्वयं प्रतिवादीगण ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि वर्ष 2014 के पूर्व कभी उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं हुआ। वादीगण द्वारा वाद कारण वर्ष 2014 से 03 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण का दावा समयाविध में है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 05 "हां" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 06 का निराकरण

24 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि ग्राम गुबरेल तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित ख.नं. 47 रकबा 2.732 हे., ख.नं. 50 रकबा 2.772 हे., ख.नं. 453/1 रकबा 1.035 हे. का विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्वाधिकारी है, परंतु वादी उपर्युक्त विवादित भूमि पर अपना स्थापित्य आधिपत्य प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः प्रस्तुत दावा अंशतः स्वीकार कर निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—

- 1. वादी ग्राम गुबरेल तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित ख.नं. 47 रकबा 2.732 हे., ख.नं. 50 रकबा 2.772 हे., ख.नं. 453/1 रकबा 1.035 हे. का स्वत्वाधिकारी नहीं है।
- 2. उपर्युक्त विवादित भूमि के संबंध में वादीगण के पक्ष में इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण विधि के सम्यक् अनुक्रम के अन्यथा वादीगण के आधिपत्य में हस्ताक्षेप ना करें।
- 3. प्रकरण की परिस्थितियों दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 4. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल